

27/6/2018
वाले आदेश दि 27/6/2018 को पढ़ा है।

जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

27/6/2018

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपर्युक्त बहस में वकील पार्थी ने निवेदन किया कि अपार्थी सं। द्वारा अपार्थी सं. 2 द्वारा जारी पट्टे की भांड में हमारी बातेंकारी व एस्तेकी भूमि पर जबलन कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। टिपोट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः पार्थीना पत्र स्वीकार जा माया जावे। वकील अपार्थी सं. 1 व उके द्वारा निवेदन किया कि पंचायतके द्वारा विधिवत पट्टा दिया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मौके पर विधिवत निर्माण किया जा रहा है। अतः पार्थीना पत्र खारिज जा माया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तलखी खदार भीलवाड़ा के पत्रांक 288 दि 18/6/2018 से प्राप्त टिपोट एवं संक्षेप नजारी नकशा व जमाबन्दी ग्राम भदाली खेड़ा की आंमन 646 रकबा 0.2403 है किस्म गेमु शस्ता है जिसमें से 3 गहा खेले की भूमि तथा पार्थी की ग्राम भदाली खेड़ा की आंमन 641/1, 641/2, 641/3 खालेकारी भूमि में से 2 1/2 गहा भूमि शर्पे द्वारा अपार्थी सं. 1 के नाम जारी पट्टे में सामिलित होना पाया जाता है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकाण पार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अपार्थी सं. 1 को पट्टे की भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पार्थी का पार्थीना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दि 06/6/2018 को जारी अन्तर्िम आर्डाई निषेधात्रा के क्रम में मूल निगठनीके निर्णय तक अपार्थी गणके विरुद्ध आर्डाई निषेधात्रा इस आशयकी जारी की जाती है कि ग्राम भदाली खेड़ा की आंमन 641/1, 641/2, 641/3 व आंमन 646 की मौकेकी प्रथाभ्यति कायम रखे। आदेश लिखा जाकर उले न्यायालय में सुनाया गया। पचावली पैसल शुमा होकर गम्बरस कम हो।

जिला कलेक्टर भीलवाड़ा